रजि० सं० (डी०)-73 REGISTERED No. D(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1977/फाल्गुन 14, 1898
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1977/PHALGUNA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 285.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से, एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) प्रथम संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में,—

(1) नियम 7 में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि तीन माह से अनधिक कालावधि के लिए छुट्टी की रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए या अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए राज्य सरकार संवर्ग पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपनी शक्ति को विभागाध्यक्षों को प्रत्यायोजित कर सकेगी, "

(2) नियम 11 के उप नियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा :—

"परन्तु यह कि तीन माह से अनधिक कालावधि के लिए छुट्टी की रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए या अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए, राज्य सरकार संवर्ग पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपनी शक्ति को विभागाध्यक्षों में प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

[सं० 11054/1/76-अ० भा० से०(1) (ख)]
आर० सी० सामल, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 10th January, 1977

G.S.R. 285.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act,

(घ) 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बस जाने के विचार से आया हो, अथवा

(ङ) भारतीय मूल का निवासी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केन्या, युगाण्डा पूर्वी अफ्रीकी देशों और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (पूर्ववर्ती टांगानीका और जंजीबार) से विस्थापित होकर आया हो :

बशर्ते कि श्रेणी (ख), (ग), (घ) अथवा (ङ) से सम्बन्धित उम्मीदवार वही व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

(2) उस उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, भर्ती प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए अनुमति प्रदान की जाए तथा उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने के अधीन अनन्तिम रूप से नियुक्ति किया जाए।"

3. उक्त नियमों की अनुबन्धित अनुसूची में जूनियर-इंजीनियर के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 1 में :—

(क) कालम 6 में मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर "27 वर्ष" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए :—

(ख) कालम 12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए; अर्थात:—

"श्रेणी-III की विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(1) अधीक्षक इंजीनियर, डाक-तार, सिविल सर्कल—अध्यक्ष

(2) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल/विद्युत)——सदस्य

(3) पोस्ट मास्टर जनरल/महाप्रबन्धक टेलीफोन : द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी——————सदस्य

[सं० 4-7/76-सी०एस०ई०]
सी० एम० ट्रेहन, इंजीनियरी अधिकारी (सिविल)-I]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

New Delhi, the 11th January, 1977

G.S.R. 304.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Posts and Telegraphs Civil Engineering Wing (Subordinate Services) Recruitment Rules, 1970, namely :—

1. (1) These rules may be called the Posts and Telegraphs Civil Engineering Wing (Subordinate Services) Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. After rule 4 of the Posts and Telegraphs Civil Engineering Wing (Subordinate Services) Recruitment Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be inserted, namely :—

"4A. Eligibility for appointment

(1) A candidate for appointment under these rules must be—

(a) a citizen of India, or

(b) a citizen of Nepal, or

(c) a citizen of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the recruiting authority and may be provisionally appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government."

3. In the Schedule annexed to the said rules, in serial number 1 relating to the post of Junior Engineer—

(a) for the entry in column 6, the entry "27 years" shall be substituted

(b) for the entry in column 12, the following entry shall be substituted, namely :—

"Class III D. P. C. consisting of

(1) Superintending Engineer, P & T Civil Circle, —Chairman

(2) Executive Engineer (Civil/Electrical)—Member

(3) An Officer nominated by the Postmaster-General/ General Manager Telephone—Member."

: Member."

[No. 4-7/76-CSE]
C. M. TREHAN, Engineer Officer (Civil)-I

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 305.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1 इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1977 है।

2 कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 1 के उप-पैरा (3) के खण्ड (ख) में उपखण्ड (Lxxxi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(LXXXII) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 204, तारीख 31 जनवरी, 1977 के अन्तर्गत आने वाले ऐसे स्थापन जो—

(1) सरेस और गैलन्टीन के विनिर्माण में लगे कारखाने हैं,

(2) स्टोन चिप, स्टोन सेट, स्टोन बोल्डर और रोड़ी पत्थर निकालने वाली पत्थर खदाने; और

(3) मछली प्रसंस्करण और मांस युक्त खाद्य परिरक्षण उद्योग, जिसमें सूकर-मांस कारखाने और सूकर-मांस प्रसंस्करण संयंत्रों में लगे हुए स्थापन भी सम्मिलित हैं, के बारे में 1977 की 28 फरवरी को प्रवृत्त होंगे।"

[सं० एस०-35011(59)/73-पी०एफ०-2 (ii)]
एस० एस० सहस्रनामन, उप सचिव

Attested

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 19th February, 1977

G.S.R. 305.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 1977.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, after the sub-clause (LXXXI), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(LXXXII) as respects,—

(1) establishments which are factories engaged in the manufacture of glue and gelatine,

(2) Stone quarries producing stone chips, stone sets, stone boulders and ballasts, and

(3) establishments engaged in fish processing and non-vegetable food preservation industry including bacon factories and pork processing plants,

Covered by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 204, dated the 31st January, 1977 come into force on the 28th February, 1977."

[No. S. 35011(59)/73-PF-II(ii)]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

श्रम विभाग

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 306.—केन्द्रीय सरकार बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कतिपय नियम बनाना चाहती है जिनका प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित के अनुसार उन सभी लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किये जा रहे हैं जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख की समाप्ति के पूर्व उक्त नियमों के प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से जो भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

अध्याय 1

(प्रारम्भिक)

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम (1977) है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों से, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) 'अधिनियम' से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) अभिप्रेत है;

(2) 'सलाहकार समिति' से अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(3) 'केन्द्रीय सलाहकार समिति' से अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(4) 'अध्यक्ष' से यथास्थिति, सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(5) 'आयुक्त' से संबंधित किसी राज्य या राज्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 के अधीन नियुक्त किया गया कोई कल्याण आयुक्त अभिप्रेत है;

(6) 'प्ररूप' से अनुसूची 5 में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है;

(7) 'निधि' से बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(8) 'सदस्य' से, यथास्थिति, सलाहकार समिति या केन्द्रीय सलाहकार समिति का सदस्य अभिप्रेत है;

(9) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(10) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(11) 'खजाना' से कोई सरकारी खजाना या उप-खजाना अभिप्रेत है।

अध्याय 2

केन्द्रीय सलाहकार समिति, सलाहकार समितियां और उपसमितियां

3. गठन :—(1) (क) केन्द्रीय सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(1) भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, श्रम कल्याण महानिदेशक या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जो कि पदेन अध्यक्ष होगा;

(2) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी जो पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(3) सभी आयुक्त—पदेन;

(4) बीड़ी के विनिर्माण में लगे हुए स्थापनों, कारखानों के स्वामियों अथवा ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतने व्यक्ति जितने उपखण्ड (ii) और (iii) में उपबंधित के योग की संख्या के बराबर हों, बीड़ी कारखानों या स्थापनों के स्वामियों या ठेकेदारों के ऐसे संगठनों से, यदि कोई हो, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्रदान की जाये, परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे;

(5) बीड़ी के विनिर्माण में नियोजित ऐसे व्यक्तियों का जिन्हें किसी स्थापन या कारखाने द्वारा सीधे अथवा किसी अभिकरण, नियोजक या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किया गया हो, का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतने व्यक्ति जितने उप-खण्ड (iv) में उपबंधित के समतुल्य हों, इस प्रकार नियोजित व्यक्तियों के ऐसे संगठनों से, यदि कोई हो, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने इस निमित्त मान्यता प्रदान की हो, परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे;

(6) एक महिला, यदि उप-खण्ड (iv) या उप-खण्ड (v) के अन्तर्गत कोई महिला नियुक्त न की गई हो।

(ख) केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, केन्द्रीय सलाहकार समिति के सचिव के रूप में उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने और भाग लेने का हकदार होगा किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा।

(2) (क) धारा 5 के अधीन गठित प्रत्येक सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात् :—

(1) अध्यक्ष;

(2) उस राज्य या उन राज्यों में जिसके या जिनके लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है, अधिकारिता रखने वाला आयुक्त, जो कि पदेन उपाध्यक्ष होगा :

Attested. [signature]

[illegible]

21/11/12